(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम ...रेवला... प०म० ...रेवला... भू०अ०नि०वृत्त ...रेवला... तहसील– ...आबूरोड...

क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	16	1545 1547 1548 1551 1552 1554	0.4552 0.0126 1.7830 0.6525 1.3530 0.1265	दीता पुत्र रूपा हिस्सा 1/8 काश्त धारामिया सा. खातेदार शाखा - राजस्थान ग्रामीण बैंक रोलपुर	दीता पुत्र रूपा हि. 1/8 काश्त - धारामिया सा. खातेदार शाखा - राजस्थान ग्रामीण बैंक रोलपुर	→ 10/8/2026
मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत ..... के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है। दिनांक 12/3/26 ह० पटवारी प०म०..... पटवारी (भू. अ.) पटवारमण्डल...रेवला... तहसील-आबूरोड (सिरोही)				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है। दिनांक 12/3/2026 ह० भू०अ०नि० (रेवला)	प०हल्का..... भू०अ०नि०..... की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है। तहसीलदार (भू०अ०नि०) आबूरोड कृते राजस्व अधिकारी	प०हल्का..... भू०अ०नि०..... राजस्व अधिकारी.....की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे। ह० उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कार्यालय आबूरोड